न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : अश्विन के. पंवार (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील 74 / 2022

अपीलार्थी– **बनाम** **उत्तरदातागण–**

1. मोडाराम पुत्र चिमनाराम का. मु.
   1/1 रामाराम पुत्र मोडाराम
   1/2 देवाराम पुत्र मोडाराम
   1/3 चौधरी पत्नी मोडाराम
2. हीराराम पुत्र लोगाराम का.मु.
   2/1 पोलाराम पुत्र हीराराम
   2/2 भट्टाराम पुत्र हीराराम
3. 2/3 केकुदेवी पत्नी हीराराम
   जाति मेगवाल निवासी मेगवालों
   की बस्ती कानोड़ तहसील
   गिड़ा जिला बाड़मेर

1. नायब तहसीलदार, बायतु
2. चुनाराम पुत्र पोकरराम का.मु.
   2/1 अर्जुनराम पुत्र श्री
   चुनाराम
3. पुरखा पुत्र लोंगा का.मु.
   3/1 हेमाराम पुत्र पुरखाराम
   3/2 हरजीराम पुत्र पुरखाराम
   3/3 देमी पत्नी पुरखाराम
4. धमण्डा पुत्र तोगा जाति
   मेगवाल निवासी मेगवालों की
   बस्ती कानोड़ तहसील गिड़ा
   जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश क्रमांक /भू.अ./95/2750 दिनांक 14.11.1995 जो उतरदाता संख्या 1 द्वारा खेत खसरा संख्या 384 मौजा मेगवालो की बस्ती व खसरा नम्बर 391 मौजा नागोणा तला के संबंध पारित किया गया के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति :–
1. वकील श्री राणाराम गौड़, श्री नरपत पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
   वकील श्री डूंगरसिंह महेचा, श्री ओमसिंह राजपुरोहित रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांक : – 11/10/2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2 से 3 के पूर्वज मुतवफी पोकर, चिमना, लांगिया पिसरान लच्छा की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 391 रकबा 212 बीघा एवं खेत खसरा संख्या 384 रकबा 93.07 बीघा मौजा कानोड तहसील बायतु पर स्वामित्व एवं आधिपत्य विद्यमान होने के कारण सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उनके नाम बराबर हिस्सा 1/3–1/3 का पर्चा लगान जारी किया गया था। तत्पश्चात उतरदाता संख्या 2 द्वारा खसरा संख्या 384 रकबा 93.07 बीघा में से अपने 1/3 हिस्से अर्थात 31.02 बीघा में से 24 बीघा भूमि का बेचान उतरदाता संख्या 4 धमण्डा पुत्र तोगा कौम मेगवाल निवासी कानोड को कर दिया गया। इस प्रकार खसरा संख्या 384 में 69.07 बीघा भूमि रही परन्तु शेष भूमि में भी उतरदाता संख्या 2 द्वारा अपना हिस्सा 1/3 पुनः कायम कर दिया। जबकि उतरदाता संख्या 2 द्वारा अपने हिस्से में से 24 बीघा भूमि का बेचान करने के पश्चात उक्त भूमि उतरदाता संख्या 2 के 1/3 हिस्से में से कम की जाना न्यायोचित थी परन्तु उतरदाता

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

संख्या 2 द्वारा तत्कालिन पटवार हल्का से षडयंत्र रचकर शेष भूमि में भी अपना 1/3 हिस्सा इन्द्राज करवा दिया। तत्पश्चात उतरदाता संख्या 2/1 द्वारा अपीलाधीन आराजी के संबंध में एक राजस्व वाद श्रीमान परगना अधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो बाद सुनवाई गुणावगुण पर खारिज किया गया। उतरदाता संख्या 2/1 को राजस्व वाद में सफलता नहीं मिलने के कारण वादग्रस्त खेतों में 1/3 हिस्सा से ज्यादा भूमि हड़प करने के उद्देश्य से पुनः षडयंत्र रचकर उतरदाता संख्या 2/1 द्वारा वादग्रस्त खेतों के संबंध में एक कुटरचित सहमति पूर्वक विभाजन का प्रार्थना–पत्र श्रीमान तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत करवाया एवं तहसीलदार बायतु में पदस्थापित ओ.के. के साथ सांठ गांड करते हुए अपीलकर्ता के पूर्वज मोडाराम एवं हीराराम के फर्जी अंगुष्ठ निशान सहमति आवेदन पत्र पर करवा दिये। तहसील कार्यालय में पदस्थापित ओ.के. उतरदाता संख्या 2/1 का सगा मामाई लडका भाई था को अनुचित रूप से प्रभावित कर षडयंत्र पूर्वक वादग्रस्त खेतों में अपने 1/3 हिस्से से ज्यादा भूमि हडप करने के उद्देश्य से एक साजशी एवं बनावटी कृषि जोत का विभाजन करने का फर्जी आवेदन पत्र एवं एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करवाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित करवा दिया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तत्कालिन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त खेतों की भौतिक स्थिति का सत्यापन नहीं किया गया था एवं न ही अपीलकर्ता तत्समय तहसील कार्यालय में हाजिर आये थे वास्तव में उतरदाता संख्या 2/1 द्वारा एक फर्जी व साजशी कृषि जोत का विभाजन का आवेदन पत्र पर अपीलकर्तागण के फर्जी अंगुष्ठ निशान कर प्रस्तुत करवाया एवं साथ ही ईकरारनामा बंटवाड़ा का भी अपीलकर्तागण मोडा व हीरा के फर्जी अंगुष्ठ कर तत्कालिन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करवाया गया एवं उक्त ईकरारनामा में अपीलकर्ता की पहचान तत्कालिन अतिरिक्त ओ.के. मोडाराम पुत्र तेजाराम द्वारा दी गई। वास्तव में उक्त ईकरारनामा पर अपीलकर्ता द्वारा कभी अंगुष्ठ निशान नहीं किये थे। इस प्रकार उतरदाता संख्या 2/1 द्वारा कपट पूर्वक एवं फर्जी अंगुष्ठ निशान कर वादग्रस्त खेतों में अपने हिस्से से अधिक भूमि हडप करने के उद्देश्य से अपने मामाई भाई तत्कालिन तहसील कार्यालय में पदस्थापित ओ.के. के साथ षडयंत्र रचकर अपीलकर्ता की कपट पूर्वक उपस्थिति बताकर अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया। तत्पश्चात उतरदाता संख्या 2/1 द्वारा अपने पक्ष में एकपक्षीय रूप से तत्कालिन पटवार हल्का से मिलावट कर नामान्तकरण संख्या 4 व 12 स्वीकृत

आतेरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

करवा दिये जिसका ज्ञान अपीलकर्तागण को नहीं हो सका। सहमति पूर्वक जोत का विभाजन करवाते समय सभी पक्षों का भौतिक रूप से उपस्थित होना नितान्त आवश्यक है परन्तु हस्तगत बंटवाडा में अपीलकर्ता हाजिर नहीं थे। इस प्रकार अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में उतरदाता संख्या 1 द्वारा अपीलकर्ता के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए फर्जी अंगुष्ठ निशान लगाकर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आलोच्य आदेश पारित किया गया। वास्तव में वक्त सेटलमेंट से ही अपीलकर्ता एवं उतरदाता संख्या 2/1 के पूर्वजों का 1/3–1/3 हिस्सा विद्यमान था तथा इसी हिस्से अनुसार पक्षकारान के पूर्वज बाहमी बंटवाड़ा कर अपने अपने हिस्सों पर काबिज चले आ रहे थे जिसकी ताईद वक्त सेटलमेंट जारी पर्चा लगान एवं खतौनी बंदोबस्त से प्रमाणित होती है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखो में अंकत पक्षकारों के हिस्सों से अधिक भूमि का बंटवाडा उतरदाता संख्या 1 द्वारा आंख बन्द कर पारित किया गया जो कि विधिनुसार अपीलकर्ता के हितों तक प्रारम्भत शून्य एवं निष्प्रभावी है। उतरदाता संख्या 1 द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। बंटवाडा करते समय स्वयं तहसीलदार बायतु या अधीनस्थ कर्मचारी मौके पर नहीं गये तथा राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस के पूर्वजों द्वारा रेस्पोडेंटस संख्या 2/1 के पूर्वज चुनाराम को अपीलाधीन आराजी में से भूमि का मौखिक बेचान किया गया तथा मौके पर कब्जा भी करवा दिया गया, लेकिन उस समय भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए खर्चा नहीं होने के कारण विक्रय विलेख के स्थान पर सहमति बंटवारा द्वारा हिस्सों का निर्धारण करते हुए बंटवारा किया गया। उपरोक्त तथ्यों को सहमति बंटवारे के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करते हुए अपीलांटस ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। सहमति बंटवारे के प्रस्ताव पर तहसीलदार बायतु के समक्ष अपीलांटस द्वारा अंगुष्ठ निशान किये गये है जिसे अपीलांटस विधि विरूद्ध जाकर गलत बता रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त सहखातेदारों के मध्य विभाजन विधि सम्मत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। रेस्पोडेंटस को नाजयज तंग एवं परेशान करने की नियत से मियाद बाहर हस्तगत अपील पेश की गई। अतः अपीलांट की अपील व्यय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

आतेरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि इस प्रकरण में मौका की स्थिति से भिन्न तरीके से निर्णय पारित करने का पूर्व में कोई ज्ञान अपीलांटस को नहीं था। कुछ अर्सा पूर्व उतरदातागण संख्या 2/1 द्वारा दखलदाजी करना प्रारम्भ किया तब अपीलकर्ता द्वारा तहसील कार्यालय से आवश्यक नकले मांगी जो नकले तैयार होकर दिनांक 30.04.2022 को प्राप्त हुई जिनको जांच हेडराइटिंग एक्सपर्ट से करवाकर दिनांक 01.05.2022 को रिपोर्ट प्राप्त कि तब सर्वप्रथम उक्त मिथ्या दस्तावेज तैयार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसका ज्ञान हुआ इस प्रकार से वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2008(1) Page 1406
RRT 2018(1) Page 601
RRT 2017(2) Page 1104
DNJ 2020(Rev.) Page 155

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित होने की दिनांक से ही अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी, उसके बावजूद भी हस्तगत अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील लगभग 26 वर्ष की सुदीर्घ अविध व्यतीत होने के पश्चात पेश की गई जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटस द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। माननीय सर्वाच्च न्यायालय ने 2004 आर बी जे पेज 623 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद के तकनीकी आधार पर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि When Petitioners father died during the pendency of appeal-Petitioner was not aware of pendency of appeal-He came to know when he received a communication from advocate engaged by his father-Order rejecting application on ground that no prayer for setting aside abatement of appeal was made and there was no prayer for condonation of delay-Liable to be Set aside such technical objections should not come in way of doing justice. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर आर डी 1998 पेज 319 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत होता है तो उसे केवल मियाद के आधार पर निर्णीत नहीं कर गुणावगुण पर निर्णीत करना चाहिए। जिसमें यह प्रावधित किया है कि Limitation

आतेरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

Act, 1963, S. 5- Dismissof appeal by lower Appellate Court on ground of limitation without looking into merits of the cse-Legality of- Held, now it must be taken as well settled principle of law that before rejecting applications u/Sec. 5, and dismissing appeals as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. चूंकि प्रकरण सहखातेदारी की भूमि के बंटवारे बाबत् है। यदि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो उसके हितों पर कुठाराघात होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अपीलांटस अधिवक्ता द्वारा हस्तगत प्रकरण में पेश न्यायिक दृष्टांत हूबहू चस्पा होते है। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त, विधि सम्मत एवं न्यायोचित है। अपीलांटगण का धारा 05 का प्रार्थना–पत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में विधि की मंशा के अनुसार अपीलांटस द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वक्त सेटलमेंट अपीलकर्ता व उतरदाता के पूर्वज पोकर, चिमना, लोगिया का बहिस्सा बराबर–बराबर अंकित सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेखो में अंकित किया गया। वक्त सेटलमेंट होने के 45 वर्षों तक सेटलमेंट में हुए इन्द्राजो को चुनोती उतरदाता संख्या 2 द्वारा नहीं दी गई। सहमति बंटवारे के प्रस्ताव में तहसीलदार द्वारा अपीलकर्ता के खातेदारी अधिकार को समाप्त किया गया, जबकि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना अपीलकर्ता के खातेदारी अधिकार को समाप्त करने का कोई अधिकार तहसीलदार को नहीं है। तहसीलदार सहमति के बंटवारे में केवल राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सों के अनुसार जोत का बंटवारा ही कर सकता है न की खातेदारी घोषणा जबकि अपीलाधीन आदेश के द्वारा तहसीलदार द्वारा अपने आदेश से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सों को परिवर्तन किया गया जो विधि मान्य नहीं है। साथ ही बंटवारे के इकरारनामें में बेचान का कोई जिक्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपने क्षेत्राधिकार से बहार जाकर पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त राजस्व रिकॉर्ड का गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। विभाजन के साथ प्रस्तुत ईकरारनामे हेतु क्रय 10 रू स्टाम्प को स्वयं उतरदाता संख्या 2/1 द्वारा क्रय किया गया है एवं ईकरारनामे की पुश्त पर अपीलकर्ता के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान विद्यमान नहीं है जबकि ईकरारनामे की पुश्त पर ही उतरदाता संख्या 01 द्वारा अपना आदेश पारित किया गया है एवं उक्त आदेश में उतरदाता संख्या 01 द्वारा कहीं पर भी

आतेरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

न्यायालय अपर कलेक्टर बालोतरा (राज.)

अपीलकर्ता को हाजीर होने का अंकन नहीं किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन आदेश जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश क्रमांक /भू.अ./95/2750 दिनांक 14.11.1995 को अपास्त/खारिज किया जाकर इसकी पालना में भरे गये नामान्तरकरण को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में पुरानी स्थिति बहाल करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गिड़ा उपरोक्त आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं अपनी उपस्थिति में मौका देखकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए वक्त सेटलमेंट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों एवं तत्पश्चात किये गये दस्तावेजी बेचान/अंतरण को ध्यान में रखते हुए जोत का विधि सम्मत विभाजन करे।

(अश्विन कु. पंचाल) कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 11/10/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और दर्ज नम्बर से कम हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा